भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1858

उत्तर देने की तारीख : 11.02.2026

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1858. श्री राकेश राठौर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव/योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने अपने 53वें प्रतिवेदन (2017-18) में आयोग को गंभीर मामलों से निपटने में "लगभग अप्रभावी" बताया था और इसे यथाशीघ्र संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) आयोग द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या आयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अधिनियम, 1993 के अध्याय III और IV को शामिल करने की सिफारिश पर कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थायी समिति ने अपनी 53वीं रिपोर्ट में एनसीएम को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। एनसीएम की स्थापना एनसीएम अधिनियम, 1992 के माध्यम से एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी और यह अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त है। इसलिए, इसे संवैधानिक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): एनसीएम अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों और चिंताओं से संबंधित सिफारिशों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। एनसीएम की वार्षिक रिपोर्टों में निहित सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनके कृत कार्रवाई ज्ञापन के लिए परिचालित की जाती हैं और तदनुसार सुधार किए जाते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है।
